



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072026-274997
CG-DL-E-31072026-274997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948

No. 625]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 687(अ).—केंद्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 48 में,-

(i) उप-नियम (4) में, खंड (ii) के लिए, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) अपतट क्षेत्र खनिज (जन विश्वास) नियम, 2026 के अनुसार नियम के उल्लंघन के लिए शास्ति के न्यायनिर्णयन की शुरुआत करने के लिए कार्रवाई करें;”;

(ii) उप-नियम (5) में,

(क) खंड (ii) में, उप-खंड (क) में, “दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम” शब्दों के स्थान पर, “अपतट क्षेत्र खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 के अनुसार शास्ति” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iii) में, “दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम” शब्दों के स्थान पर, “अपतट क्षेत्र खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 के अनुसार शास्ति” शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 60 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“60. शास्ति.- जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह धारा 28 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (अर्थात्; अपतट क्षेत्र खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026) के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।”

4. उक्त नियमों में, “अनुसूची-2” और “अनुसूची-3” का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एम. VI.-16/51/2026-खान VI (भाग-5)]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 791(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2024 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 687(E).— In exercise of the powers conferred by section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024, namely: —

1. **Short title and commencement:** — (1) These rules may be called the Offshore Areas Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 2026.

2. In the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, —

(a) in sub-rule (4), for clause (ii), following clause shall be substituted, namely: —

“(ii) take action to initiate adjudication of penalty for contravention in accordance with Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026;”;

(b) in sub-rule (5), —

(i) in clause (ii), in sub-clause (a), for the words “such amount as specified in the Second Schedule”, the words “penalty in accordance with Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026 “shall be substituted;

(ii) in clause (iii), for the words “such amount as specified in the Second Schedule”, the words “penalty in accordance with Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026 “shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 60, the following rule shall be substituted, namely: –

“**60. Penalty.** – Whoever contravenes the provisions of these rules shall be liable to penalty in accordance with the provisions of section 28 of the Act and the rules made thereunder (*i.e.*, the Offshore Areas Mineral Adjudication of Penalties Rules, 2026).”.

4. In the said rules, “THE SECOND SCHEDULE” and “THE THIRD SCHEDULE” shall be omitted.

[F. No. M.VI -16/51/2026-Mines VI (Part 5)]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.

Note: – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 791 (E) dated the 31st December, 2024.